महत्वपूर्ण एवं खास

सोलर लाइट का ठेका दिलाने का झांसा देकर 21 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। सोलर लाइट का ठेका दिलाने का झांसा देकर 21 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विकाश सिंह ठाकुर 34 वर्ष नेहरू वार्ड भाठापारा बलौदाबाजार का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी बसंत जैन, शुभम जैन व समीर खान ने प्रार्थी को दो गांव में सोलर लाइट लगाने का ठेका दिलाने के नाम पर और ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 21 लाख ठग लिए। प्रार्थी की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

गांजा के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। गोलबाजार पुलिस ने शास्त्री बाजार के पास गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 554 ग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार गोलबाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शास्त्री बाजार के पास आरोपी शेख सियाउद्दीन 38 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पस से 1 किलो 554 ग्राम गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत 22500 रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

प्रयागराज के लिए अब सीधी उड़ान

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के हवाई यात्रियों को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 16 अगस्त से मिलेगी. पहले दिन के लिए रायपुर से प्रयागराज जाने का फेयर 5000 रुपए तथा वापसी की टिकटें 4400 रुपए में मिल रही हैं. एयरलाइंस इंडिगो ने रायपुर-प्रयागराज-रायपुर सेक्टर में एटीआर विमान के संचालन की तैयारियां की है. यह उड़ान रोजाना संचालित की जाएगी. दोनों सेक्टर में टिकटों की बुकिंग की शुरुआत 4 हजार रुपए से हुई थी. ज्ञात रहे कि लंबे समय से रायपुर-प्रयागराज के मध्य संचालित उड़ान को इंडिगो ने 29 अक्टूबर 23 से बंद कर दिया था. शेड्यूल : इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 7302 रायपुर से 12.05 बजे, प्रयागराज 13.25 बजे, 6 ई 7371 प्रयागराज से 13.50 बजे, रायपुर 15.20 बजे भोपाल फ्लाइट का बदलेगा शेड्यूल भोपाल-रायपुर-भोपाल सेक्टर में संचालित इंडिगो की फ्लाइट का शेड्यूल भी 16 अगस्त से बदल जाएगा. इस सेक्टर में रोजाना संचालित होने वाली फ्लाइट में कंपनी एटीआर विमान की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र में 14 अगस्त को होगा आधार, आयुष्मान, श्रम और पीएम विश्वकर्मा पंजीयन शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ और बरमकेला ब्लॉक क्षेत्र में 14 अगस्त को आधार कार्ड अपडेट, आयुष्मान, श्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान हितग्राहियों से किया जाएगा। सारंगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सुआरगुडा, तेन्दुआ, गातापीढा, खोखसीपाली, कपरतुंगा, तुलसीडीह, खुम्हारी, पथरीपाली, सराईपाली, पट, बगबंध, परसदा छोटे, चंदली, पचपेडी, बुदेली, गंजाईभुवना, उधरा, खरवानी बड़े, पहंदा, मल्दा अ, बेलटीकरी साराडीह, खजरी, दहीदा, कपीसदा ब, प्रधानपुर, कुर्रहा, जोगनीपाली, चाटीपाली, छोटे खैरा, पिंडरी द, कलमी, छतौना, दलाल, परसापाली, भेड़वन, भैंजनार, रक्सा, जशपुर, सुआताल, मुडवाभांठा, जसरा, बरतुंगा, अमलीपाली अ, उलखर, हलधरपाली, कटेकोनी, मचघोडा, कुधरी, सिंघनपुर, बरदुला, कोतरी, भादरा, कपीस्दा अ, कोतरी,झारपाली, तिमरलागा, पुटीया, विजयपुर उमेदपुर, लालाधुरवा, जामपाली, नरगीखोल, बोईडीह, वार्ड 11 कमलानगर, नरेशनगर, बरभांठा,वार्ड 15 रेंजरपारा, दमदरहा, सोनाडुला, वार्ड 06 बिरसिंघडीह, तिलाईपाली, बेहरचुआ, वार्ड 10 प्रतापगंज, आमाकोनी, मकड़ी, सारंगढ़ वार्ड 5, गोडा, बाबाकुटी में आयोजन होगा।

फसल बीमा की अंतिम तिथि अब अऋणी किसानों क़े लिए 16 अगस्त और ऋणी किसानों क़े लिए 25 अगस्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़

पीएम फसल बीमा योजना में नामांकन के लिए अऋणी किसानों क़े लिए अब अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 और ऋणी किसानों क़े लिए 25 अगस्त 2024 है।

अधिसूचित उद्यानिकी खरीफ फसलें टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरुद है। अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम बैंक शाखा, समिति, सीएससी, डॉकघर और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। साथ ही अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें जरूरी दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने को कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए- फसल साझा कास्तकार का घोषणा पत्र शामिल है। इसमें आधार अनिवार्य है इसलिए किसानगण अपना आधार बैंक में अपडेट करालें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जावेगा। किसानों को फसल क्षति से संबंधित सूचना बीमा कम्पनी को देने की आवश्यकता नही है।किसान द्वारा देय प्रीमियम दर (बीमित राशि का) अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, ऑनलाईन पंजीकरण, बीमा अभिकर्ता , डॉक विभाग इत्यादि द्वारा सभी ऋणी कृषकों तथा अऋणी कृषकों (प्रस्ताव पत्र के साथ) बीमा कराने, प्रीमियम जमा, खाते से प्रीमियम कटौती / बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 है।

उद्यानिकी फसल मिर्च टमाटर आदि का प्रीमियम राशि और बीमा राशि

खरीफ 2024 में टमाटर का किसान देय प्रीमियम राशि 6000 रुपए में 120000 रुपए का बीमा राशि है। बैगन का प्रीमियम राशि 3850 रुपए में बीमा राशि 77000 रुपए है। मिर्च का किसान प्रीमियम राशि 3400 रुपए में बीमा राशि 68000 है। अदरक का 7500 रुपए प्रीमियम राशि में 150000 रुपए बीमा राशि है। केला का 4250 किसान प्रीमियम राशि में 85000 बीमा राशि है। पपीता का 4350 रुपए किसान प्रीमियम राशि में 87000 बीमा राशि है। अमरूद का 2250 रुपए प्रीमियम राशि में किसान बीमा राशि 45000 है।

धान्य और दाल फसलों का प्रीमियम और बीमा राशि

फसलों का प्रीमियम राशि और बीमा राशि अंतर्गत धान सिंचित का प्रीमियम राशि 1100 है, जिसका बीमा राशि 55000 है। धन असिंचित का प्रीमियम 860 रुपए है जिसका बीमा 43000 रुपए है। मक्का का 750 प्रीमियम है जिसका बीमा 36000 है। अरहर का बीमा 395 रुपए है जिसका बीमा 38000 रुपए है। उड़द का 540 रुपए प्रीमियम है जिसका बीमा 27000 है। मूंग का प्रीमियम 270 है जिसका 27000 रुपए बीमा है। कोदो का 160 रुपए प्रीमियम है जिसका बीमा राशि 16000 है। कुटकी का 170 प्रीमियम है, जिसका बीमा राशि 17000 रुपए है। रागी का प्रीमियम 150 है जिसका बीमा राशि 15000 रुपए है।

किसानों के फसल को होने वाले क्षति की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलों का बीमा किया जाता है जिससे उनके फसल की क्षति का लाभ मिलता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में खरीफ वर्ष 2023 में कुल 12 गांव के 1727 किसानों ने फसल बीमा कराया था। इन किसानों को 42 लाख 19 हजार 497 का बीमा भुगतान किया गया है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अनुसूचित मुख्य फसल की बुवाई रोपण अंकुर नहीं हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही ओलावृष्टि, जल भराव, बादल का पटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, चक्रवर्ती वर्षा और बेमौसम होने वाले बरसात से फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा का लाभ लेने हेतु जिले के सहकारी बैंकों में तथा ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर फसल बीमा करा सकते हैं। इस वर्ष खरीफ सीजन के धान सिंचित असिंचित, मक्का, कोदो कुटकी, रागी, अरहर, उड़द एवं मूंग फसल शामिल है।

बरमकेला में मिनी मैराथन का हुआ आयोजन

बच्चो और युवाओ ने लगाई दौड़ : विजेताओ को किया गया पुरस्कृत

सारंगढ़-बिलाईगढ़

बरमकेला में आयोजक दैनिक समाचार पत्र के द्वारा मिनी मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे से मैराथन की शुरूआत दुर्गा मंदिर से हुई। इस मैराथन दौड़ में युवा बच्चे और जवान के साथ महिला व युवतियों की भी काफी अच्छी संख्या रही। सभी पूरे उत्साह के इस आयोजन में भाग लिए। हर कोई विजेता बनने एक दूसरे को पीछे छोड़ आगे बढ़ रहे थे। करीब तीन किमी की दौड़ बरमकेला थाना के पास आकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर धर्मेश साहू व पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा रहे। इस दौरान एसडीएम अनिकेश साहू, परियोजना निर्देशक हरिशंकर चैहान, जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक, समाजसेवी यशवंत नायक, ताराचंद पटेल, माधव पटेल, नितेश प्रधान, उमेश अग्रवाल थाना प्रभारी विजय गोपाल आदि उपस्थित थे।

मैराथन दौड़ में सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस आयोजन में पुरूष वर्ग में पहले स्थान पर किशन लाल कोसरिया रहे। इसके अलावा द्वितीय स्थान धनराज जांगड़े व तृतीय स्थान राहुल को मिला। महिला वर्ग में पुष्पा ओग्रे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर पिंकी पटेल व तीसरे स्थान पर रूपा सिदार रही। कलेक्टर व एसपी के हाथों प्रथम, द्वितीय व तृतीया आने वाले प्रतिभागियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस मैराथन में भाग लेने वाले महिला व पुरूष वर्ग दोनों वर्ग के 10-10 प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजक दैनिक समाचार पत्र की यह अच्छी पहल है। कलेक्टर ने कहा सभी ने जिम्मेदारी से भाग लिया। सभी में काफी उत्साह दिखा। यह शुरूआत है और बरमकेला के लिए अच्छा संदेश है। युवाओं की अच्छी पहल है। क्षेत्र की हरियाली और खुबसुरती को बनाए रखने के लिए अच्छा प्रयास है। मैराथन में जिस तरह उत्साह के साथ भाग लिया है आगे भी ऐसे आयोजनों का सिलसिला चलता रहे।

पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि दैनिक समाचार पत्र के मिनी मैराथन आयोजन को अच्छा बताया। उनका कहना था कि फिटनेस को लेकर ऐसी पहल सरहनीय है। बच्चे से लेकर बड़े शामिल हुए। आगे भी इसी तरह की प्रतियेागिता में शामिल होते रहे और स्वास्थ्य समाज में योगदान दे।

सारंगढ़ में हुई खाद्य पदार्थो की जांच

सारंगढ़ बिलाईगढ़

खराब खाद्य से जिले क़े नागरिकों को बचाने और उनके बेहतर स्वास्थ्य क़े लिए कलेक्टर धर्मेश साहू क़े निर्देशन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधा चौधरी और नमूना सहायक वरुण पटेल द्वारा मंगलवार को सारंगढ़ क़े कलिका मिष्ठान, हर्ष ट्रेडर्स, नाइस बेकरी, फल दुकान, तुर्की तालाब किनारे प्रिया पावभाजी सेंटर, प्रिया एग्रोल, आदि गुलचुप और पाव भाजी दुकान का जांच किया गया। जायका रेस्टोरेंट से दाल और ग्रेवी का, उमंग देवांगन फ़ास्ट फूड क़े पाव भाजी में कलर अधिक होने का सेम्पल लिया गया।

डेंगू टेस्ट के लिए निजी पैथालॉजी लैब में 250 रुपए शुल्क निर्धारित

❑ डेंगू से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कंट्रोल रुम नंबर 9893362364 में कर सकते है संपर्क

रायगढ़। डेंगू प्रकरण के मद्देनजर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निजी पैथालॉजी लैब में डेंगू टेस्टिंग के उचित मूल्य निर्धारण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया था। जिसके तहत विगत दिनों सीएमएचओ द्वारा शहर के समस्त निजी पैथालॉजी लैब संचालकों की बैठक लेकर डेंगू टेस्टिंग हेतु 250 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने बताया कि बुखार आने पर घबरायें नहीं, डेंगू बुखार जानलेवा नहीं है। आप निर्धारित शुल्क देकर तत्काल अपना जांच करवाकर इलाज सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि डेंगू के प्रभावित व्यक्तियों हेतु शासकीय व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यदि किसी मरीज का ब्लड प्लेट्स कम हो जाये तो ब्लड सेपरेटर के माध्यम से आवश्यकता पडऩे पर मेडिकल कालेज एवं जिंदल हास्पिटल में उपलब्ध हो सकेगा। सीएमएचओ ने जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू के उत्पत्ति के स्थान जैसे कुलर में एक हफ्ता से रखा हुआ स्थिर एवं साफ पानी, बिना ढ़के हुए प्लास्टिक एवं सीमेंट टैंक का साफ पानी, फ्रिज के पीछे ट्रे, गमले में जमा हुआ पानी, पशु एवं पक्षियों के लिए पात्र में रखा हुआ साफ पानी, नारियल के खोल, टूटे हुए बर्तन एवं डिस्पोजल, गड्ढ़ो में बारिश का जमा हुआ साफ पानी, टायरों में जमा हुआ साफ पानी, अन्य ऐसे स्थान या वस्तु जिसमें स्थिर साफ पानी जमा हो रहा है। वहाँ डेंगू के मच्छर पनपते है।

ट्रक से बैटरी चोरी का मामला सुलझाया : आरोपी गिरफ्तार, 2 बैटरी बरामद

रायगढ़

जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बैटरी चोरी के मामले को शीघ्र सुलझाया गया है। 12 अगस्त 2024 को बेनीकुंज निवासी शेख वाहिद अली (40) ने थाना पुसौर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 20 जुलाई 2024 की रात उनके ट्रेलर वाहन (क्रमांक CG 13 AT 9794) से दो एक्साइड एक्सप्रेस बैटरियां चोरी हो गई थीं। घटना स्थल ठेंगापाली के पास स्थित पेट्रोल पंप का था, जहां ट्रक खड़ा था।

शेख वाहिद अली की रिपोर्ट पर पुसौर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की। थाना प्रभारी रोहित बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस मामले में गहन जांच-पड़ताल की। जांच के दौरान सक्रिय सूचनातंत्र मुखबीर से मिली सूचना और संदेह के आधार पर संदेही तोषसागर चौहान (23) निवारी दर्रीपाली पुसौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने 20 जुलाई की रात को साईं फ्यूल पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रेलर से बैटरियां चुराई थीं।

पुलिस ने आरोपी तोषसागर के मेमोरेंडम के आधार पर चोरी दो एक्साइड बैटरियों (₹30,000) को बरामद किया। थाना प्रभारी रोहित बंजारे के नेतृत्व में इस कार्रवाई में एएसआई उमाशंकर विश्वाल, प्रधान आरक्षक योगेश उपाध्याय, आरक्षक धर्नुजय चंद बेहरा और ओशानिक विश्वाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिससे इस मामले को इतनी जल्दी सुलझाया जा सका। गिरफ्तारी के बाद आरोपी तोषसागर चौहान को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

श्रम मंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में निर्माणी श्रमिकों को दी 14.47 करोड़ रूपये की सौगात

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक सौगात दी है। यह राशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्री ने भी विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपए की स्वीकृति प्रदान की।

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, आवास सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किए जाता है।

श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 885 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9354, मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 50, मिनीमाता महतारी जतन योजना 975, मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना 71, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना 114, नोनी बाबू मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना 36, एवं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कापी हेतु सहायता योजना के तहत् छात्र-छात्राएं 18028 अन्य योजनाओं में इस प्रकार कुल 33873 निर्माण श्रमिक एवं उनके बच्चों को योजनाओं के तहत् सीधे उनके खाता में ऑनलाईन के माध्यम राशि लाभान्वित हेतु राशि रूपये 14 करोड़ 47 रूपये स्वीकृत किया गया है।

लोक निर्माण विभाग ने पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड लगाने के दिए निर्देश

रायपुर । आरएनएस

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने नदियों पर बने पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य कराने को कहा है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता ने वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से जान-माल की सुरक्षा और सुरक्षित यातायात के लिए सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं एवं संभागीय कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को हर 15 दिनों में अनुविभागीय अधिकारियों और कार्यपालन अभियंताओं के साथ इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी ने परिपत्र में निर्देशित किया है कि ऐसे सभी स्थानों और मार्गो जिनमें वर्षा ऋतु में आम जनता के लिए समस्या की स्थिति उत्पन्न होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बारिश के दिनों में अतिवृष्टि से मार्गो पर विद्यमान नदी-नालों पर बाढ़ एवं कई स्थानों में सडक़ डूबने जैसी स्थिति निर्मित होती है। इन स्थितियों में जान एवं माल की सुरक्षा तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षित कार्य के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे सभी स्थानों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं जहां वर्षा ऋतु के दौरान मार्ग एवं पुल के डूबने की स्थिति निर्मित होती है।

प्रमुख अभियंता ने सभी जलमग्नी पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं जिससे बाढ़ या पुल के जलमग्न होने की स्थिति में यातायात को बंद किया जा सके। जलमग्न होने वाले स्थानों के दोनों ओर आवश्यक सूचना पटल लगाकर राहगीरों को सूचित किया जाए कि मार्ग जलमग्न हो सकता है। जलमग्न होने की स्थिति में रूके। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र में अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों की लगातार समीक्षा करने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए टीम गठित करने को कहा गया है। जलमग्न होने की स्थिति में टीम चौबीसों घंटे काम करेगी। विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को अतिवृष्टि की स्थिति में जिले में गठित बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यपालन अभियंता अपने अधीनस्थों के साथ तत्काल तत्परता से कार्यवाही करेंगे। प्रमुख अभियंता ने डूबान क्षेत्र में आने वाले सडक़ों के आसपास संधारण के लिए पर्याप्त मटेरियल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि मार्ग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल सुधार किया जा सके।

लोक निर्माण विभाग ने निर्माणाधीन और चौड़ीकरण के प्रगतिरत कार्यो वाले मार्गों में भी सभी आवश्यक सावधानी सूचक चिन्ह, रिफ्लेक्टिव साइन-बोर्ड, सेफ्टी रिबन्स, गार्ड स्टोन्स, चूना पोताई हुई बोरियाँ आदि की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन पुल-पुलियों में किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छतीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छतीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छतीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छतीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU